निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 72/2022 तारीख दायरा 10.06.2022

उनवान

भवानीशंकर पुत्र चतुर्भुज जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। – वादी

बनाम

1. ओपेन्द्र मेहता पुत्र सत्यनारायण जाति किराड निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. मथुरीबाई पत्नी स्व0 मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनांक :– 21.11.2022

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील प्रतिवादी सं. 1)

श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादी सं. 2)

–– निर्णय ––

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं. 950, 953 की 6.78 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 5/42 है। उक्त कृषि भूमि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मथुरीबाई पत्नी स्व0 चतुर्भुज के नाम से इन्द्राज हो रहा है जो कि गलत है, क्योंकि मथुरीबाई पत्नी स्व0 चतुर्भुज के नाम से कोई महिला नहीं है, मथुरीबाई के पति का नाम स्व0 मदनलाल है, जो प्रतिवादी न0 2 है, जिसका नाम उक्त भूमि में सहवन से दर्ज हो गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हलका कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा में वादी के खाते व कब्जे की खसरा न0 307/1002 की 0.04 हैक्टर दक्षिणी खसरा नं0 308 की 0.85 हैक्टर व खसरा न0 653/1005 की 0.07 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.96 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमियों में भी प्रतिवादी न0 2 के पति का नाम स्व0 चतुर्भुज दर्ज किया हुआ है, जो कि सहवन से दर्ज हुआ है। उक्त कृषि भूमियों के अतिरिक्त वादी की अन्य सहखातेदारान के साथ अन्य कृषि भूमियॉं स्थित है। उक्त समस्त कृषि भूमियों का वादी व अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौके अनुसार विभाजन करवाने का विचार करने पर वादी व अन्य सहखातादारान ने दिनांक 30.06.2016 को ग्राम कोटडी व ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित कृषि भूमियों का विभाजन पत्र तैयार करवाया था, जो कि आपसी सहमति से विभाजन के अनुरूप तैयार करवाया गया था। आपसी सहमति से हुए विभाजन के वक्त यह तय हुआ था कि ग्राम कोटडी में स्थित खसरा न0 953 की 6.78 है. भूमि वादी के खाते व कब्जे में रहेगी, इसी प्रकार ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 307/1002 दक्षिण की 0.04 हैक्टर व खसरा न0 308 की 0.85 हैक्टर, खसरा न0 653/1005 की 0.07 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.96 हैक्टर कृषि भूमि वादी के खाते व कब्जे में रहेगी। वक्त विभाजन उक्त कृषि भूमियों में वादी की बहनों के नाम भी दर्ज किये गये थे, जो कि उनके द्वारा हक त्याग करने से राजस्व रिकार्ड से हट चुके हैं। वक्त विभाजन उक्त भूमियों में से सहवन से प्रतिवादी न0 2 का नाम दर्ज कर दिया गया तथा उनके पति का नाम स्व0 मदनलाल के स्थान पर स्व0 चतुर्भुज दर्ज कर दिया, जबकि वास्तविकता में प्रतिवादी न0 2 का नाम उसके पति स्व0 मदनलाल के हिस्से की भूमियों में दर्ज होना था, जो कि वहां हो भी चुका है। वादी के खाते की उक्त भूमियों में प्रतिवादी न0 2 का नाम सहवन से दर्ज हुआ है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है।

वादी के पुत्र सुरेश को पारिवारिक आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से वादी ने अपने पुत्र के [illegible] उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से 5/42 हिस्से की भूमि अर्थात् [illegible] मध्य स्थित मेड से सटवा पश्चिमी तरफ उत्तर दक्षिण [illegible] को दिनांक 25.4.2019 को विक्रय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

थी। उक्त दिनांक को उक्त भूमि पर मुनाफा काश्त बृजराज किराड निवासी आकोदिया का होने से प्रतिवादी न0 1 को कब्जा नहीं संभलाया गया था तथा उसकी एवज में प्रतिवादी नं0 1 ने रूपये 60000 रू स्वयं के पास रोक लिये थे। इससे अगले वर्ष में उक्त भूमि में से पश्चिमी तरफ की लगभग 20 वीघा भूमि को मुनाफा काश्त पर प्रतिवादी न0 1 के पिता को दिया गया था। उस वक्त भी उन्हें यह बता दिया गया था कि प्रतिवादी न0 1 को विक्रय की गई 5 वीघा भूमि उत्तर दक्षिण लम्बाई में स्थित है, इस तथ्य से प्रतिवादी न0 1 व उसके पिता पूर्ण रूप से अवगत थे। इस वर्ष उक्त भूमि में वादी ने स्वयं ने कृषि कार्य करने का निर्णय लिया था तथा अपने निर्णय के परिपेक्ष में वादी ने प्रतिवादी न0 1 को विक्रीत उत्तर दक्षिण लंवाई की 5 वीघा भूमि को छोडकर अन्य कृषि भूमि को हांकने का प्रयास किया तो प्रतिवादी न0 1 आनाकानी करने लगा व कहने लगा कि मैंने रोड साइड की 5 वीघा भूमि खरीद की है, जिसमें मैं ही हाकूंगा, आपको अधिकार नहीं है। प्रतिवादी न0 1 द्वारा किये गये उक्त कथन से वादी आश्चर्य चकित रह गया, क्योंकि उसने प्रतिवादी न0 1 को खेत खसरा न0 953 की भूमि में मध्य में स्थित मेड से सटवा पश्चिमी तरफ की 5 वीघा भूमि उत्तर दक्षिण लम्बाई की विक्रीत की थी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी न0 1 के मन में वदयान्ती आ गई है तथा वह वादी की उक्त भूमि में रोड साइड की भूमि में कब्जा करना चाहता है जवकि उसे उत्तर दक्षिण लम्बाई की 5 वीघा भूमि का विक्रय किया गया था। प्रतिवादी न0 1 द्वारा किये जा रहे उक्त कुटिल प्रयासों में
2। वादी के मन में यह भय उत्पन्न हो गया है कि प्रतिवादी न0 1 वादी को उसके खाते व कब्जे की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त कृषि भूमियों के विभाजन, खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायताए चाहने के लिए वाद प्रस्तुत करे, यही इस वाद की विषयवस्तु है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध खाता विभाजन, खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाकर ग्राम कोटडी तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 953 की 6.78 हैक्टर भूमि व ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 307/[illegible] रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा न0 308 की 0.85 हैक्टर व खसरा न0 953/[illegible] की 0.97 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादी न0 2 का नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादी न0 2 के दर्ज हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। उक्त घोषणा के अनुसार में राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी न0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे। ग्राम कोटडी स्थित खसरा न0 953 की 6.78 है. भूमि का विभाजन किया जाकर वाद विभाजन प्रतिवादी न0 1 के हिस्से में दर्ज 5/42 हिस्से की भूमि को उक्त कृषि भूमि के मध्य में स्थित मेड के सटवा पश्चिमी तरफ उत्तर दक्षिणी लम्बाई में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा लगान राज भी पृथक पृथक अंकन किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि प्रतिवादी न0 1 उसके द्वारा ग्राम कोटडी तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 953 की 6.78 हैक्टर भूमि में क्रयशुदा 5/42 हिस्से की भूमि जो कि मौके पर खसरा न0 953 की भूमि के मध्य में स्थित मेड के सटवा पश्चिम की ओर उत्तर दक्षिण लम्बाई में है, के अतिरिक्त अन्य भूमि को जो वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयास नहीं करे, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी न0 1 स्वयं करे और न ही अपने किन्हीं नौकरों, एजेन्टो से ऐसा करावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता एवं प्रतिवादी न0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जावेद अंसारी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। इसके बाद वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रकरण में न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया गया। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया। किसी भी पक्षकार द्वारा कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जवाब सरकार में स्पष्ट अंकित है कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा में मथुरी बाई पत्नि स्व0 चतुर्भुज जाति किराड नाम की कोई महिला नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति, राजीनामा आदि का सूक्ष्मता से विश्लेषण एवं विवेचन करने के उपरान्त प्रतीत होता है कि मथुरीबाई पत्नी स्व0 चतुर्भुज के नाम [illegible] महिला नहीं है, मथुरीबाई के पति का नाम स्व0 मदनलाल है, जो प्रतिवादी न0 2 [illegible] नाम विवादित कृषि भूमि में सहवन से दर्ज हो गया है। इस प्रकरण [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 953 की 6.78 हैक्टर आराजी एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के ख.न. 307/1002 दक्षिण की 0.04 है., ख.न. 308 की 0.85 है. एवं ख.न. 653/1005 की 0.07 है. आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण को राजीनामे के आधार पर निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

अ. हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 :–

माल ग्राम	ख.न.	रकबा
कोटडी	953	6.78 है. में से 0.807 है. (उक्त कृषि भूमि के मध्य में स्थित मेड से पूर्वी तरफ की गडार से लगवा उत्तर पश्चिमी कोना, उत्तर से दक्षिण 210.05 मीटर व गडार से लगी हुई पूर्व से पश्चिम 38 मीटर)

ब. हिस्सा वादी :–

माल ग्राम	ख.न.	रकबा
कोटडी	953	6.78 है. में से 5.973 है.
लक्ष्मीपुरा	307/1002	दक्षिणी 0.04 है.
	308	0.85 है.
	653/1005	0.07 है.
	कुल 3 किता की कुल 0.96 है. आराजी	
	कुल 6.933 है. आराजी	

उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 3 का नाम खाते से हटाये जाने तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में खातों का विभाजन कर राजलगान पृथक से अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। [illegible] होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन [illegible] व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

1.6

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:30:59 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय वइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 72 / 2022

तारीख दायरा 10.06.2022

उनवान

भवानीशंकर पुत्र चतुर्भुज जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। – वादी

बनाम

1. ओपेन्द्र मेहता पुत्र सत्यनारायण जाति किराड निवासी ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. मथुरीबाई पत्नी स्व0 मदनलाल जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनांक :– 21.11.2022

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील प्रतिवादी सं. 1)

श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादी सं. 2)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन वादी मिन जानिब मुदई रूबरू श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता प्रतिवादीगण

7

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

कार्यालय ... सांगोद

श्री जावेद अंसारी प्रतिवादीगण 2 मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि —

माल ग्राम कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 953 की 6.78 हैक्टर आराजी एवं माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के ख.न. 307/1002 दक्षिण की 0.04 है., ख.न. 308 की 0.85 है. एवं ख.न. 653/1005 की 0.07 है. आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण को राजीनामे के आधार पर निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है —

अ. हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 :—

माल ग्राम	ख.न.	रकबा
कोटडी	953	6.78 है. में से 0.807 है. (उक्त कृषि भूमि के मध्य में स्थित मेड से पूर्वी तरफ की गडार से लगवा उत्तर पश्चिमी कोना, उत्तर से दक्षिण 210.05 मीटर व गडार से लगी हुई पूर्व से पश्चिम 38 मीटर)

ब. हिस्सा वादी :—

माल ग्राम	ख.न.	रकबा
कोटडी	953	6.78 है. में से 5.973 है.
लक्ष्मीपुरा	307/1002	दक्षिणी 0.04 है.
	308	0.85 है.
	653/1005	0.07 है.
	कुल 3 किता की कुल 0.96 है. आराजी	

कुल 6.933 है. आराजी

उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 3 का नाम खाते से हटाये जाने तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में खातों का विभाजन कर राजलगान पृथक से अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी ... होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुवलिग .... X ... साबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.11.2022 माह नवंबर 2022 को जारी की गई।

मोहर .....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुकमनामा	....		
बाबता इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक			
मुतफर्रिक				गीजान	....		
गीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested